

उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुपालन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता संवर्ग) के द्वारा दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु दिये गये विकल्प

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र.सं.	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	010022165	भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	-	महोदय प्रार्थी गम्भीर रोग से पीड़ित है। तत्क्रम में मण्डलीय चिकित्सा परिषद-नैनीताल (मेडिकल बोर्ड) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं तथा प्रार्थी वर्तमान में दुर्गम कार्यालय अल्मोड़ा में ही रहने का इच्छुक हैं। अतः प्रार्थी को स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17(ख) के 1 एवं 6 के अनुसार स्थानान्तरण से मुक्त रखने की कृपा करें।


हस्ताक्षर (कार्मिक)



नाम:- भूपेन्द्र सिंह बिष्ट

पदनाम:- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)


नाम:- अभियन्ता, स्तर-1
पदनाम:- वि०, अल्मोड़ा